राजस्व वाद संख्या–132/2016
[illegible]
निर्णय दिनांक 12/3/2025

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी [illegible]

राजस्व वाद सं– 132/2016 **[illegible] नम्बर – 2016/[illegible]**

1. खम्मा पुत्र बीरबल (फौत)
1/1. प्रदीप कुमार पुत्र खम्मा
1/2. रणधीर सिंह पुत्र खम्मा
1/3. चांद कौर पत्नी खम्मा
1/4. कौशल्या कुमारी
1/5. सुशीला पुत्रीयां खम्मा समस्त जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. प्रभाती पुत्री बिरबल
3. रामकौरी पत्नी रामकरण
4. महेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण
5. रामपाल पुत्र रामकरण
6. बिमला पुत्री रामकरण समस्त जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.........प्रार्थीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

1. रोशन पुत्र भरता
2. जैला पुत्र चन्दगी (फौत)
2/1. नगेन्द्र पुत्र जैला
2/2. सत्यपाल पुत्र जैला
2/3. कमला पत्नी जैला
2/4. सुनिता पुत्री जैला
3. बदलू पुत्र चन्दगी (फौत)
3/1. हरप्यारी देवी पत्नी बदलू
3/2. रामशेर पुत्र बदलू
3/3. सुमन
3/4. माया
3/5. मुनेश पुत्रीयां बदलू समस्त जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा [illegible] जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तह[illegible] जिला झुंझुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

.........अप्रार्थी

दावा बाबत– धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा दुरूस्ति

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

—:निर्णय:—

दिनांक:—

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द पटवार हल्का भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल ख0 न0 58 रकबा 1.73 है0, ख0 न0 141 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 142 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 143 रकबा 2.45 है0, ख0 न0 190 रकबा 0.85 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.09 हैक्टर रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 हाल ख0 न0 42 रकबा 5.59 है0, ख0 न0 147 रकबा 1.12 है0, व ख0 न0 289 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.30 हैक्टर के रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि प्रार्थीगण का हाल ख0 न0 141, 142, 143 अप्रार्थीगण के उतरी दिशा में स्थित है तथा प्रार्थीगण के खेत की दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण के हाल ख0 न0 147 की उत्तरी सीमा पूर्व से पश्चिम स्थित है उस सीमा को प्रार्थीगण की तरफ दर्शाया गया है। जबकि उक्त सीमा हाल ख0 न0 145 के दक्षिणी सीमा के समांतर पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिये।
4. यह कि गत नक्शा ट्रैस में प्रार्थीगण की दक्षिणी सीमा हाल ख0 न0 145 के दक्षिणी सीमा के समान्तर पूर्व दिशा में है। तथा हाल नक्शा ट्रैस में उक्त सीमा प्रार्थीगण की तरफ हाल ख0 न0 145 के उतरी सीमा के समान्तर पूर्व से पश्चिम दिशा में है जो गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।
5. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर गत नक्शा ट्रैस के मुताबिक ही काबिज कास्त है।
6. यह कि प्रार्थीगण का नक्शा ट्रैस 1978—1979 को गत नक्शा ट्रैस सन 1939—1940 के मुताबिक दुरूस्त जरूरी है। जिससे सीमा संबंधी कोई विवाद उत्पन्न ना हो।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:—

कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि प्रार्थीगण का नक्शा ट्रैस 1978—1979 हाल ख0 न0 141 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 142 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 143 रकबा 2.45 है0, को गत नक्शा ट्रैस 1939—1940 के मुताबिक दुरूस्त किया जावे

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की ओर से जवाब पेश नही हुआ। अप्रार्थी सं. 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार बुहाना से 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 253 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा भिजवाई गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2... दिनांक ..09.2022 के द्वारा 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली हुई रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया प्रार्थी ... अनुसार दुरूस्ती हेतु निवेदन किया सभी प्रभावित पक्षकारों को तलब ... उपस्थित है किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 17, 85 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 नक्शा ट्रेस 1939–1940 एवं 1978–1979 किश्तवार व मिलान क्षेत्रफल पेश किए गए।

–::आदेश::–

"न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि प्रार्थीगण का नक्शा ट्रैस 1978–1979 हाल ख0 न0 141 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 142 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 143 रकबा 2.45 है0, को गत नक्शा ट्रैस 1939–1940 के मुताबिक नक्शा दुरस्त कर तदानुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तदानुसार नक्शा दुरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 2445 दिनांक 15.09.2022 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

(सुमन देवी) II
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी (I) आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं– 132/2024 सीसीएमएस नम्बर – [illegible]/2024

बुहाना आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत– धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा दुरुस्ति

–निर्णय–

वादी की ओर से **श्री प्रदीप सैन एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस प्रार्थना पत्र को सुमन देवी II **उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निस्तारण के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित मानता है। अतः वादी का ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज. स्थित भूमि प्रार्थीगण का ख.नं. 141 रकबा 0.12 हैं, ख.नं. 142 रकबा 1.14 नक्शा ट्रेस 1939–1940 के मुताबिक नक्शा दुरुस्त किया नक्शा ट्रेस 1978–1979 हाल ख.नं. 141 रकबा 0.12 हैं, ख.नं. 143 रकबा 2.43 हैं, को गत नक्शा ट्रेस 1939–1940 व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तदानुसार नक्शा दुरुस्त कर तदानुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 2443 दिनांक 13.09.2022 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "क" के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट नक्शा 2022 तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मुताबिक तहसीलदार बुहाना को रिकार्ड में अमल उचित पाया जाता है। अतः मुताबिक नक्शा प्रदर्श "क" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को प्राप्त होने वाले ख.नं./रकबे/किस्म करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बन्धित खातेदार को प्राप्त होने वाले के विरुद्ध दर्ज किया जावे। तदानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12/3/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन [illegible] बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested